Power-Main (Hindi) Land

1. ***लेख्यकारी का नाम एवं पताः -***

श्रीमती ....., आयु ..... वर्ष, जौजे ....., निवासी ...., पेशा- ...., नागरिकता- भारतीय।

2. ***लेख्यधारी का नाम एवं पताः -***

श्री ....., आयु ..... वर्ष, वल्द ...., निवासी- ....

uddyogjiiregistrationsolutions.com

....., पेशा-....., नागरिकता- भारतीय।

3. *लेख्य का प्रकार :* -

प्राधिकरण-विलेख (Deed of Power of Attorney)

4. *सम्पति का विवरण :* -

वह आवासीय परती भूखण्ड का अंश जिसका कुल क्षेत्रफल- ..... कट्ठा (.....कट्ठा) है, जो मौजा- ....., थाना- ....., जिला-..... के थाना नं. .... (.....) तौजी - ..... , खाता नं. ..... (.....), म्युनिसिपल सर्वे प्लौट नं. ..... (.....), वार्ड नं.- ....., शीट नं.- ....., कैडेस्ट्रल प्लौट नं.-..... (.....) में स्थित है। लेख्य सम्पति पटना नगर निगम से बाहर तथा अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है जिसका वार्षिक लगान मो. 50 पैसे अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी ..... .के माध्यम से भुगतान किया जाता है जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-

<u>चौहद्दी</u>

उत्तर -

दक्षिण -

पूरब -

पश्चिम -

संदर्भ

यह कि कंडिका-4 में वर्णित सम्पति लेख्यकारीगण की स्वयं अर्जित संपति है

uddyogiriregistrationsolutions.com

इस तरह कंडिका–4 में वर्णित सम्पति का मोख्तार नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार लेख्यकारीगण धारित करते है।

यह कि लेख्यकारीगण हमेशा पटना से बाहर रहते हैं, इसलिए कंडिका–4 में वर्णित सम्पति देखभाल करने, समुचित व्यवस्था करने तथा सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं। फलस्वरुप सोंच विचार कर मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ्य अवस्था में शुभ चिन्तकों, परिवार के सदस्यों तथा कानूनविदों से राय मशविरा कर निर्णय लिया कि उपर्युक्त संपति की देख–रेख कार्यो के लिए जिसका विवरण इस विलेख में अंकित है, के लिए किसी को मोख्तार नियुक्त करें। इसी उद्देश्य से मैं लेख्यकारीगण ..... लेख्यधारी ....को अपनी ओर से निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित करने हेतु अपना प्रतिनिधि अर्थात मोख्तार नियुक्त करते हैं :–

1. यह कि लेख्यधारी मेरे बदले उपरोक्त संपति के लिए विक्रय पत्र, विक्रय मनोबंध, किरायानामा, एकरारनामा, पट्टा, उप पट्टा, विनमय पत्र के विलेखों या वसीकाओं को एक साथ या खण्ड–खण्ड में संपादित करेंगे, उसपर हस्ताक्षर करेंगे तथा संबंधित निबंधक के समक्ष उपस्थापित करेंगे और उसका कार्यान्वयन करेंगे तथा निबंधन के लिए सभी प्रक्रियायें जो–जो आवश्यक होगी उसे पूर्ण करेंगे और आवश्यकतानुसार एक साथ या खण्ड–खण्ड में भी कंडिका–4 की जमीन के निश्वत्त विलेख अथवा विलेखों का सम्पादन एवं निष्पादन इत्यादि कार्य करेंगे साथ ही साथ निबंधन से प्राप्त रसीद (चिरकूट) पर हस्ताक्षर कर मूल विलेख निबंधन कार्यालय से प्राप्त करने का अधिकार सुपूर्द करेंगे।

2. यह कि लेख्यधारी इस मोख्तारनामा के माध्यम से भवन निर्माण/विकास कार्य नही करेंगे। इस लेख्य सम्पत्ति पर किसी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी रोक नहीं है और उक्त संपति के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल (लेन–देन) प्राप्त नहीं किया है। और बिक्री से जो प्रतिफल अथवा राशि प्राप्त होगी उसे लेख्यधारी लेख्यकारी को भुगतान करेंगे तथा

udyogiregistrationsolutions.com

प्रिंसिपल द्वारा इस विलेख में अंकित सम्पति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया गया है।

3. यह कि लेख्यधारी, लेख्यकारीगण के बदले उपर्युक्त संपति के विवाद के लिए वकील, अधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति अपने स्वविवेक से करेंगे और वकालतनामा, आवेदन, ब्यान तहरीर, कारण पृच्छा इत्यादि पर हस्ताक्षर करेंगे और संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे।

4. यह कि लेख्यधारी लेख्यकारीगण के बदले किसी भी तरह के आवेदन पत्र, शपथ पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवश्यकतानूसार न्यायालयों में उपस्थित होंगे और समुचित पैरवी करेंगे।

यह पावर ऑफ आटर्नी (मोख्तारनामा) निम्नांकित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

गवाहगणः -

1.

<u>लेख्यकारी का हस्ताक्षर</u>

2.

लेख्यधारी का हस्ताक्षर
लेख्यकारी के निदेश पर
प्रारुप तैयार किया।

मुद्रित किया:-

(मनोज कुमार)
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

(डा० अनिल कुमार सिन्हा ''उद्योगी'')
अधिवक्ता,
''चैम्बर'', समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

uddyogijiregistrationsolutions.com